न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 84/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/214

अनवान्

1. श्री सवलीबाई पत्नी वरदा भील निवासी मेडता तह. मावली।

.............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता वरदा भील निवासी मेडता तह. मावली।
2. श्री कैलाशचन्द्र पिता वरदा भील निवासी मेडता तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का मेडता तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.11.2024

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1603/2, 1617/1, 1618/2, 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1650, 1713 किता 10 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि विपक्षीगण संख्या 1, 2 के नाम राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1603, 1603/1, 1617, 1618/1 किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थीया व विपक्षीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

वरदा पिता भजा भील (फौत)

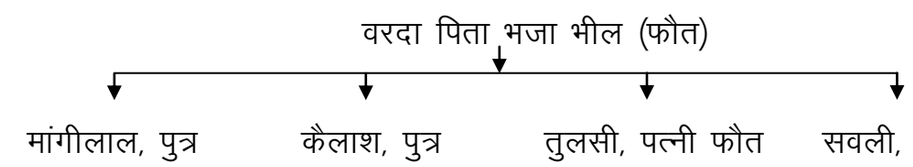

मांगीलाल, पुत्र | कैलाश, पुत्र | तुलसी, पत्नी फौत | सवली, पत्नी

उक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष वरदा ... जिनके फौत होने पर उनके दो पुत्र मांगीलाल, कैलाश व दो पत्नीया तुलसी व ... हुई जिसमें से तुलसी का निधन हो चुका हैं तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में ... जी के विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:33 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान मांगीलाल, कैलाश व सवली हुए किन्तु राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिवश नामान्तरण संख्या 262 दर्ज कर वरदा के विधिक वारिसान के नाम ग्राम पचांयत मेडता द्वारा मांगीलाल व कैलाश नाबालिग दर्ज कर उनकी माता तुलसी व सवली बेवा वरदा का नाम रद्दोबदल की स्वीकृति प्रदान की अर्थात् उक्त नामान्तरण दर्ज करने के समय ही ग्राम पंचायत तथा पटवारी हल्का को यह जानकारी होते हुए भी की वरदा जी के फौत होने पर मांगीलाल, कैलाश, सवली व तुलसी विधिक वारिसान है किन्तु सवली व तुलसी का नाम खातेदारी हक से नामान्तरकरण में दर्ज न कर केवल मांगीलाल व कैलाश के नाबालिग होने से संरक्षक के तौर पर ही मात्र दर्ज कर दिया जो विधिक रूप से गलत है तथा प्रार्थीया का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से 1/3 वें हक व हिस्सा भूमि का उपयोग उपभोग अपने पति के जीवनकाल से ही कर रही है जिससे प्रार्थीयां प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि को अपने नाम खातेदारी घोषित कराई जाने की अधिकारीणी है तथा प्रार्थीया को उनके पति वरदा के फौत हो जाने पर विरासत से वाद वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 वां हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थीया का प्राइमाफैसी केस है इसलिए प्रार्थीया के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें।

3. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से प्रार्थीया के नाम 1/3 हक व हिस्से अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी उसकी तुलना रूपये पैसों में किया जाना सम्भव नहीं है तथा सुविधा एवं संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.05.2018 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण से उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज कराने एवं खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया तथा जबरन प्रार्थीया के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा करने को उतारू हुए तब उत्पन्न हुआ तथा उत्पन्न होकर जारी है।
5. अन्त में निवेदन किया कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1603/2, 1617/1, 1618/2, 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1650, 1713 किता 10 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थीया को 1/3 वां हक व हिस्सा तथा परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नं. 1603, 1603/1, 1617, 1618/1 कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थीया को 1/3 वें हक व हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:38 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा विपक्षीगण के विरूद्व तथा प्रार्थीया के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि मुल दावे के निस्तारण तक उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न नौकर चाकर एजेन्ट तथा न अन्य किसी से करवाये तथा ना ही उक्त कृषि भूमि विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस अथवा किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1, 2 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। विपक्षीगण को भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित हुआ हैं। विपक्षीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में हैं। प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम खातेदारी अधिकार से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण को भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीया द्वारा अपनी पैतृक भूमि बताकर घोषणा चाही गई हैं तथा साथ ही विरासत के नामान्तरकरण में प्रार्थीया के नाम दर्ज नहीं होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है या नहीं साथ ही विपक्षीगण का नामान्तरकरण विधि विरूद्व है या नहीं उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:33 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान में विपक्षीगण हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:33 IST
Reason: SelfAttested